

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :- 01-के0यो0-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021.....1986

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया।

पटना, दिनांक :- 25/02/2023

विषय :- राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया के परिसर की सुरक्षा हेतु अस्थायी घेराबन्दी हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया परिसर की चाहरदिवारी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में NHA1 द्वारा तोड़ा गया है, जिससे प्रशिक्षण संस्थान परिसर का मुख्य प्रवेश मार्ग असुरक्षित हो गया है।

सुरक्षात्मक दृष्टिगत तोड़ी गई चाहरदिवारी के स्थान पर स्थायी चाहरदिवारी के निर्माण तक वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अस्थायी घेराबन्दी/चाहरदिवारी के निर्माण हेतु तत्काल 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष/ ईकाई कोड	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया
1	2	3
01	27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	50,000
कुल योग :-		50,000

(पचास हजार रुपये मात्र)

2. अनुरोध है कि प्रशिक्षण संस्थान परिसर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अबिलम्ब अस्थायी घेराबन्दी/चाहरदिवारी निर्माण संबंधी प्रारंभ की जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/ईकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक : 21/12/2023

ज्ञापांक :- 01-के0यो0-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021.....1906

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 21/12/2023

ज्ञापांक :- 01-के0यो0-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021.....1906

प्रतिलिपि:- समाहर्ता-सह-बन्धोबस्त पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 21/12/2023

ज्ञापांक :- 01-के0यो0-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021.....1906

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 21/12/2023

ज्ञापांक :- 01-के0यो0-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021.....1906

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण